R-512/CE
12/04/18

डायरी नं0 409 दिनांक 10/4/18
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

- 9 APR 2018

संकल्प

विषय :– निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग–जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) के तहत झारखण्ड सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में एवं विनिर्दिष्ट शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए निःशक्त जनों का आरक्षण।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम–1995 (वर्ष–1996 का सख्यांक–1)(केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 32 एवं 33 में अंकित प्रावधानों के सम्यक् कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा संकल्प सं0–5671, दिनांक–04.07.2016 निर्गत है, जिसके द्वारा निःशक्तता के विभिन्न प्रवर्गों के लिए अधोलिखित परिमाण में आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी, जिसका विनियमन क्षैतिज रूप से किया जाना था।

निःशक्तता का प्रवर्ग	आरक्षण प्रतिशत
(क) अंधापन / कम दृष्टि	– 1 प्रतिशत
(ख) बहरापन / श्रवण अशक्तता	– 1 प्रतिशत
(ग) शारीरिक अशक्तता / सेरेब्रल पाल्सी	– 1 प्रतिशत

निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग–जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) पारित हो जाने के बाद दिव्यांग व्यक्तियों के नियोजन एवं शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश सम्बन्धी आरक्षण की व्यवस्था की समीक्षा किया जाना आवश्यक हो गया है। निःशक्त (दिव्यांग–जन) व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) की धारा 32 एवं 33 में नियोजन तथा शैक्षणिक संस्थानो में प्रवेश से सम्बन्धित प्रावधान संक्षेप में निम्नवत है :–

I. अधिनियम की धारा 32(1) के अनुसार उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थानो एवं सरकारी सहायता प्राप्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए 5 प्रतिशत सीट आरक्षित किया जाना है।

II. उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अनुसार विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्तियों के लिए संस्थान में प्रवेश की अधिकतम आयु में 5 वर्षों की छूट दी जानी है।

III. अधिनियम की धारा 33(i) के अनुसार सभी स्थापनाओं में विनिर्दिष्ट निःशक्तता (बेंच मार्क निःशक्तता, 40 प्रतिशत से कम नहीं) से ग्रसित व्यक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों की पहचान किया जाना है। अधिनियम की धारा 33(ii) पदों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना है और उप धारा (iii) के अनुसार इस प्रकार पहचान किये गये पदों की एक निश्चित समयावधि (3 वर्षों से अनाधिक) में समीक्षा की जानी है।

IV. कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0–36035/02/2017-Estt(Res), दिनांक–15.01.2018 के आलोक में राज्य सरकार

(154) (114)

को समाधान हो गया है कि निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग–जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) के विभिन्न प्रावधान का कार्यान्वयन अब निम्न प्रकार किया जाएगा :–

1. <u>निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग–जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) की धारा 34 के अनुसार निःशक्तता के निम्न पाँच प्रकार के हैं</u> :–

(क) अंधापन और कम दृष्टि

(ख) बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता

(ग) चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular Dystrophy)

(घ) स्वलीनता (Autism), बौद्विक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या

(ङ) बहु निःशक्तता (Multiple disablities) जो (क) से (घ) में अंकित निःशक्तता/निःशक्तताओं के मिलने से बनी स्थिति यथा अंधापन एवं बहरापन, अंधापन एवं बहरापन के साथ–साथ चलन निःशक्तता।

2. <u>प्रभाव एवं विस्तार</u> :–

दिव्यांग जन आरक्षण की निम्न व्यवस्था संकल्प के जारी होने की तिथि से लागू समझी जाएगी।

3. <u>आरक्षण की मात्रा</u> :–

(क) शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए :–

निःशक्त व्यक्ति (दिव्यांग–जन) अधिकार अधिनियम, 2016 (वर्ष 2016 का संख्यांक–49) की धारा 32(1) के तहत उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थानो एवं सरकारी सहायता प्राप्त सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित पाठ्यचर्या में दिव्यांग–जनों के लिए निम्न प्रकार 5 प्रतिशत सीट आरक्षित किया जायेगा :–

	निःशक्तता का प्रवर्ग	आरक्षण प्रतिशत
(क)	अंधापन और कम दृष्टि	1
(ख)	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	1
(ग)	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ट रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांसपेशीय दूर्विकास (Muscular Dystrophy)	1
(घ)	स्वलीनता (Autism), बौद्विक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी	1
(ड़)	बहु निःशक्तता (Multiple disablities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है	1